सं. 2/10/80-जेसीए

केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशन की मान्यता) नियम,1993

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक : 05 नवम्बर, 1993

जी.एस.आर. 689(अ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक से परामर्श कर, तथा केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशन की मान्यता) नियम,1959 के अधिक्रमण में, जिसमें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई बातों अथवा हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. लघु शीर्षक तथा आरंभ : (1) इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोसिएशन की मान्यता) नियम,1993 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क. "सरकार" का अर्थ है केंद्र सरकार

ख. "सरकारी सेवक" का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 लागू होता हो।

3. अनुप्रयोग : ये नियम रक्षा सेवाओं के असैनिक सरकारी सेवकों सहित सभी सरकारी सेवकों के सेवा एसोसिएशनों पर लागू होंगे परंतु रेल मंत्रालय के औद्योगिक कर्मचारियों तथा रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों, जिनके लिए मान्यता के पृथक नियम विद्यमान हैं, पर लागू नहीं होंगे।

4. पहले से मान्यताप्राप्त सर्विस एसोसिएशन : ऐसे सर्विस एसोसिएशन अथवा परिसंघ, जिन्हें इन नियमों के लागू होने से पूर्व सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा जिनके संबंध में मान्यता इनके लागू होने पर भी जारी है, का इस प्रकार मान्यताप्राप्त बने रहना इनके लागू होने के एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख, जब मान्यता वापस ली जाती है, जो भी पहले हो, तक के लिए जारी रहेगा।

5. सेवा एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने की शर्तें :- निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले सेवा एसोसिएशन को सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, अर्थात्:-

क. सेवा एसोसिएशन को मान्यता देने के लिए आवेदन संगम ज्ञापन, संविधान, एसोशिएसनों की उप विधियों, पदाधिकारियों के नामों, कुल सदस्यता और अन्य जानकारी जो सरकार के लिए आवश्यक हो, सहित सरकार को दिया गया है;

ख. सेवा एसोसिएशन इसके सदस्यों के समान सेवाहितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया है;

ग. सेवा एसोसिएशन की सदस्यता को समान हित वाले विशिष्ट श्रेणी के सरकारी सेवकों तक सीमित किया गया है, ऐसे सभी सरकारी सेवक सेवा एसोसिएशन की सदस्यता के पात्र हैं।

घ. (i) एसोसिएशन, कर्मचारियों की श्रेणी की कुल संख्या के न्यूनतम 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है बशर्ते कि केवल एक ऐसा एसोसिएशन मौजूद हो जिसकी सदस्यता 35 प्रतिशत से अधिक हो, अन्य एसोसिएशन जो सदस्यता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हो लेकिन सदस्यता 35 प्रतिशत से कम हो, को मान्यता दी जा सकती है यदि इसकी सदस्यता कम से कम 15 प्रतिशत हो।

(ii) सरकारी सेवक की सदस्यता ऐसी श्रेणी से संबंधित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

ङ. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सेवारत हैं, वे ही सेवा एसोशिएसनों के सदस्य या पदाधिकारी होंगे।

च. सेवा एसोसिएशन, किसी जाति, जनजाति या धार्मिक मान्यता या ऐसी जाति, जनजाति या धार्मिक मान्यता के किसी समूह या वर्ग के आधार पर या उनके हितों की रक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं बनाया जाएगा।

छ. सेवा एसोसिएशन के कार्यकारी, सदस्यों में से ही नियुक्त किए गए हैं। और

ज. सेवा एसोशिएसनों की निधियों में सरकार द्वारा दिया गया अनुदान या सदस्यों की सदस्यता शुल्क ही शामिल होता है और इनका उपयोग सेवा एसोशिएसनों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

6. शर्तें, जिनके अध्यधीन मान्यता जारी रहेगी :- इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त प्रत्येक सेवा एसोसिएशन निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे।

क. सेवा एसोसिएशन केवल अपने सदस्यों के समान हित से जुड़े विषय को छोड़कर किसी अन्य मामले में कोई प्रतिनिधिमंडल या शिष्टमंडल नहीं भेजेगा।

ख. सेवा एसोसिएशन सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित वैयक्तिक मामलों को नहीं उठाएगा न उनका समर्थन करेगा।

ग. सेवा एसोसिएशन के पास कोई राजनीति नहीं होगी और न ही किसी राजनीतिक दल या ऐसे दल के किसी सदस्य के विचारों के प्रचार के लिए निधि उधार देगा।

घ. सेवा एसोसिएशन के सभी अभ्यावेदनों को उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा और सरकार के सचिव/संगठन के प्रधान अथवा कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

ङ. वार्षिक आम सभा के बाद प्रत्येक वर्ष उचित माध्यम से सरकार को सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची और नियमों की अद्यतन प्रति और सेवा एसोसिएशन का संपरीक्षीत लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई तक पहुंच सके।

च. सेवा एसोसिएशन अपने संविधान/उप विधियों के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।

छ. इन नियमों के अंतर्गत मान्यताप्राप्त हो जाने के बाद सेवा एसोसिएशन के संविधान/उप विधियों में कोई भी संशोधन सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

ज. सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सेवा एसोसिएशन कोई आवधिक पत्रिका अथवा बुलेटिन न तो आरंभ करेगा न प्रकाशित करेगा।

झ. सरकार द्वारा इस आशय का निदेश दिए जाने पर सेवा एसोसिएशन इस आधार पर किसी आवधिक पत्रिका, पत्रिका या बुलेटिन का प्रकाशन रोक सकती है कि उसके प्रकाशन से केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी राज्य प्राधिकरण तथा भारत सरकार और विदेशी सरकार के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ञ. सेवा एसोसिएशन सरकार के माध्यम से ही किसी विदेशी प्राधिकारी के साथ कोई पत्राचार करेगा और सरकार को इस प्रकार पत्राचार करने को रोकने का अधिकार होगा।

ट. सेवा एसोसिएशन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा न ही ऐसा कार्य करने में साथ देगा जिसके किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए जाने पर केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

6. सेवा एसोसिएशन या उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी को भेजे जाने वाले पत्र में कोई असम्मानजनक या अनुचित बात नहीं लिखी जाएगी।

7. सदस्यता का सत्यापन : (1) किसी सेवा एसोसिएशन को मान्यता देने के प्रयोजन से उसकी सदस्यता का सत्यापन ऐसे अंतराल पर और ऐसी रीति से पेय-रोल में चेक इन सिस्टम द्वारा की जाएगी जैसा सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(2) यदि जांच की जाने के बाद सरकार के मतानुसार नियम 5 के खंड (घ) के उप खंड (1) के तहत सेवा एसोसिएशन के पास आवश्यक सदस्यता नहीं है तो वह सदस्यता के विशेष सत्यापन का आदेश दे सकती है।

8. मान्यता वापस लेना : यदि सरकार की राय में इन नियमों के तहत मान्यताप्राप्त कोई सेवा एसोसिएशन नियम,5 या नियम 6 या नियम 7 में निर्धारित किसी शर्त का अनुपालन नहीं करता, तो सरकार सेवा एसोसिएशन को आपका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरांत उसकी मान्यता वापस ले सकती है।

9. शिथिलिकरण : सरकार, इन नियमों में निर्धारित आवश्यकता को उस सीमा तक या ऐसी शर्तों के अधीन शिथिल कर सकती है या उन्हें हटा सकती है जिन्हें सेवा एसोसिएशन के संबंध में उचित समझे।

10. व्याख्या : यदि इन नियमों के किसी प्रावधान के संबंध में कोई प्रश्न उठे या मान्यता की शर्त को पूरा करने के संबंध में कोई विवाद उठे तो उसे सरकार को संदर्भित किया जाएगा और उस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।